संख्या-7/ 2018/आ0मि0-7/96-आयुष-2-2018-135/2016

प्रेषक,

लक्ष्मण सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 12 फरवरी, 2018

विषय- राष्ट्रीय आयुष मिशन योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 में 42 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में से जनपद प्रतापगढ के 5 चिकित्सालयों के उच्चीकरण हेतु अवशेष धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-404/90/मि0नि0/2017-18, दिनॉक 02-01-2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 42 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के उच्चीकरण हेतु शासनादेश संख्या- /2017/313/96-आयुष-2-2017-135/2016, दिनॉक 31-03-2017 द्वारा कुल रू0 490.18 लाख के सापेक्षा रू0 245.09 लाख की धनराशि की गयी थी। उक्त शासनादेश में जनपद प्रतागढ. के 05 चिकित्सालयों हेतु कुल रू0 61.19 लाख के सापेक्ष रू0 30.595 लाख की भी धनराशि सम्मिलित है। चूंकि कार्यदायी संस्था द्वारा स्वीकृत जनपद प्रतापगढ. के 05 चिकित्सालयों हेतु स्वीकृत धनराशि का सतप्रतिशत व्यय कर लिया गया है। अतः वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके निवर्तन पर राज्य आयुष सोसाइटी के बचत खाते में रखीं गयी धनराशि में से द्वितीय एवं अन्तिम किस्त के रूप में भवन मरम्मत एवं बाउड्रीवॉल निर्माण हेतु मूल्यांकित कुल धनराशि रू0 61.19 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 30.595 लाख का व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही कार्यो/मदो में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदो पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समायावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा।
3- अवमुक्त धनराशि का अहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते मे नही रखा जायेगा।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 03-08-2017 में उल्लिखित दिशा-निदेर्शो को पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से मिशन निदेशक, द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तामान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

6- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन की जा रही है कि इस प्रायोजना पर अगामी वित्तीय स्वीकृति तभी प्रदान की जायेगी, जब इस धनराशि एवं पूर्व स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

7- प्रश्नगत कार्य में सुसंगत नियमों का अनुपालन मिशन निदेशक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय राज्य आयुष सोसायटी के बचत खाते में मिशन निदेशक, राज्य आयुष सोसायटी के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–8/2017बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनॉक 03.08.2017 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(लक्ष्मण सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-7/2018/आ0मि07(1)/96-आयुष-2-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक, होम्योपैथी उ0प्र0 लखनऊ।
3- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5- प्रबन्धक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
6- वित्त प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य आयुष सोसायटी।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण्) अनुभाग-3/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग 1/2
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
अनु सचिव,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-7/2018/आ0मि0-7/96-आयुष-2-2018-135/2016, दिनॉक 12/02/2018 का संलग्नक

क0	जनपद का नाम	रा0हो0चि0 नाम/जिला	भवन/मरम्मत/बाउन्ड्रीवाल निर्माण एवं अन्य लगात सहित कुल लागत के सोपक्ष अवशेष धनराशि (रू0 लाख में)
1	2	2	3
1.	प्रतापगढ़	जोगीपुर, मंगरौरा	6.435
2.	प्रतापगढ़	शेखूपुरागौरा, गौरा	5.94
3.	प्रतापगढ़	कदमपुरवही, कुण्डा	4.635
4.	प्रतापगढ़	रूरेआसपुर, देवसरा, आसपुर देवसरा	6.84
5.	प्रतापगढ़	कटैया, लक्ष्मणपुर	6.745
		कुल	30.595

(लक्ष्मण सिंह)
अनु सचिव,

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।